



Neutral Citation No. - 2026:AHC:57267

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 9357 वर्ष 2026

महेश अहिरवार

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : ज्योति कुमारी जायसवाल, त्रिपुरारी पाल

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से ब्रीफ होल्डर श्रीमती अनीता सिंह को सुना गया तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया गया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से थाना जी.आर.पी. कानपुर, जिला कानपुर नगर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 44 वर्ष 2026, धारा 8/20 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक के कब्जे से 12 किलोग्राम और 252 ग्राम गांजा बरामद होने का आरोप है, जो कि व्यावसायिक मात्रा से कम है। वास्तव में आवेदक से ऐसी कोई बरामदगी नहीं हुई थी। यह भी तर्क दिया गया है कि चूंकि ऐसी बरामदगी का समर्थन किसी स्वतंत्र गवाह ने नहीं किया है, इसलिए उसे अपराध में झूठा फंसाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। रासायनिक विश्लेषक की कोई रिपोर्ट मौजूद नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक पूरी तरह निर्दोष है और उसे अनावश्यक उत्पीड़न और

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रताड़ित करने के उद्देश्य से फंसाया गया है। आवेदक, जो 28.01.2026 से जेल में है और जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, जमानत पर रिहा होने का हकदार है। यदि आवेदक को जमानत दी जाती है, तो वह इसकी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध करते हुए तर्क दिया कि विचारण से पूर्व के चरण में आवेदक की निर्दोषिता का निर्णय नहीं किया जा सकता है, जो प्रतिबंधित पदार्थों की आपूर्ति में संलिप्त है, इसलिए वह किसी भी रियायत का पात्र नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह फिर से इसी तरह की गतिविधियों में लिप्त होगा।

यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि जमानत एक नियम है और जेल भेजना एक अपवाद है, **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम बालचंद उर्फ बलिया (1977) 4 एससीसी 308** के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जमानत से इनकार करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत है और पैराग्राफ 2 में यह मत व्यक्त किया गया कि "मूल नियम को संक्षेप में जेल नहीं, बल्कि जमानत के रूप में रखा जा सकता है, सिवाय उन परिस्थितियों के जो न्याय से भागने या न्याय के मार्ग में बाधा डालने या अपराधों की पुनरावृत्ति करने अथवा गवाहों को डराने-धमकाने जैसी स्थितियों का संकेत देती हों। हमारा आशय इसे संपूर्ण बनाना नहीं बल्कि केवल उदाहरणात्मक बनाना है" तथा मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए और **गुडीकांति नरसिम्हलु एवं अन्य बनाम लोक अभियोजक, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, एआईआर 1978 एससी 429** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के सिद्धांत, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिदेश, आरोपों की प्रकृति, उनके समर्थन में साक्ष्य की प्रकृति, दोषसिद्धि होने पर सजा की गंभीरता, अभियुक्त-आवेदक के चरित्र, अभियुक्त की विशिष्ट परिस्थितियों, विचारण के दौरान अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने की उचित संभावना, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका, जनता/राज्य के व्यापक हित और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा यह मत है कि यह जमानत देने के लिए एक उपयुक्त मामला है।"

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अतः, उपर्युक्त केस क्राइम में शामिल **अभियुक्त-आवेदक महेश अहिरवार** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ **जमानत पर रिहा किया जाए**:-

1. आवेदक विवेचना या विचारण के दौरान गवाहों को डराकर/धमकाकर अभियोजन के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण में ईमानदारी से सहयोग करेगा।
3. आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि या अपराध में लिप्त नहीं होगा।

उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा। बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और जमानतियों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाए।

(माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

19 मार्च, 2026

विभा सिंह

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।